संख्या-1295/60-3-99-3(144)/99

प्रेषक,

देवेन्द्र स्वरूप,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी उ.प्र.।
2-समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ.प्र.।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई, 1999

विषय : निराश्रित विधवा पेंशन का वितरण ग्राम-पंचायतों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन ने ग्राम-पंचायतों को अधिक सक्रिय बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है कि निराश्रित विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली धनराशि का वितरण ग्राम-पंचायतों के माध्यम से ग्राम-पंचायतों की खुली बैठक में किया जाय। उक्त प्रयोजनार्थ प्रथम चरण में निराश्रित विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन पा रही महिलाओं की सूची ग्राम-पंचायतवार बनवाकर उसकी एक-एक प्रति विलम्बतम् दिनांक 31-07-99 तक प्रत्येक ग्राम-पंचायत को एवं संबंधित विकास खण्ड कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाय। सूची बनाते समय यह ध्यान में रखा जाय कि एक सूची में एक ही ग्राम-पंचायत के लाभार्थियों के नाम, उनके स्वर्गीय पति का नाम, आयु तथा उनका पता अंकित किया जाय।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
देवेन्द्र स्वरूप
उप सचिव

पृष्ठांकन सं.-1295(1)/60-3-99 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त समाज कल्याण, उ.प्र. शासन, लखनऊ के निजी सचिव को प्रमुख सचिव के सूचनार्थ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
4. निदेशक, महिला कल्याण, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
5. समस्त मण्डलीय, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ.प्र.।
6. सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र., लखनऊ।

आज्ञा से,
देवेन्द्र स्वरूप
उप सचिव